



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 मई, 1978
ज्येष्ठ 8, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1538/सत्रह-वि०-1-42-78

लखनऊ 29 मई, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 28 मई, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अप्रति संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
8, सन् 1937 की
धारा 3 का
संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द 'अस्सी प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'ती प्रतिशत' रख दिये जायेंगे।

ब्राह्मण से
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1538(2)/XVII-V-1—42-78

Dated Lucknow, May 29, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod tatha Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 28, 1978:

**THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX
(AMENDMENT) ACT, 1978**

[U. P. ACT NO. 20 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the United Provinces Entertainments and
Betting Tax Act, 1937

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India
as follows:

Short title. 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting
Tax (Amendment) Act, 1978.

Amendment of section 3 of U. P. Act, 1937, in sub-section (1), for the words "eighty per cent", the words
Act 8 of 1937: "hundred per cent" shall be substituted. 2. In section 3 of the United Provinces Entertainments and Betting Tax

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.